International Journal in Management and Social Science
Volume 09 Issue 12, December 2021 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

सहभागी लोकतंत्र और विकसित भारत मिशन 2047

डॉ कृष्ण कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय सुकरौली, कुशीनगर (यू पी)

डॉ विजय कुमार तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
राजकीय महाविद्यालय सुकरौली, कुशीनगर (यू पी)

सारांश-

विविध और व्यापक संस्कृति वाले भारत में प्रजातंत्र मात्र कोई शासन ,प्रशासन की एक पद्धति नहीं बल्कि नागरिक चेतना ,जवाबदेही और जन भागीदारी की जीवंत प्रक्रिया है। द्रुत गति से बढ़ रहे 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र का मूल्यांकन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि चुनावी प्रणाली कितनी नियमित है बल्कि यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शासन, प्रशासन में जन सामान्य की भागीदारी कितनी सार्थक, उपयोगितापूर्ण एवं जवाबदेह है। भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकसित भारत मिशन 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। यह मिशन मात्र आर्थिक विकास का कोई रोड मैप नहीं ,बल्कि सामाजिक आर्थिक समावेशन , नैतिक शासन और जनतांत्रिक परिपक्वता की दीर्घकालिक योजना है। इस संदर्भ में जन भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र विकसित भारत का केवल माध्यम नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। तेजी से डिजिटल हो रहे भारत में विकसित भारत 2047 की संकल्पना डिजिटल और सहभागी लोकतंत्र के बिना अधूरी है। किंतु भारत जैसे विकसित हो रहे लोकतंत्र में उसकी परिपक्वता तब दिखाई देती है जब नागरिक मात्र अधिकारों का दावा ना करें बल्कि अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें, अन्यथा विकसित भारत की संकल्पना मात्र एक राष्ट्रीय नारा बनकर रह जाएगी। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सहभागी प्रजातंत्र को नीतिपूर्ण संस्कृति और लोकतांत्रिक नैतिकता के रूप में विकसित किया जाए न कि केवल एक शासन, प्रशासन की प्रक्रिया के रूप में। इस प्रकार जन भागीदारी वाला प्रजातंत्र विकास को मात्र एक शासन का लक्ष्य नहीं बल्कि उसे सामूहिक सामाजिक परियोजना में स्थानापन्न करता है।

Key Words - सहभागी, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक चेतना, जवाबदेही, डिजिटल समावेशन, नीतिपूर्ण संस्कृति, लोकतांत्रिक नैतिकता, लोक कल्याणकारी राज्य, जनतांत्रिक परिपक्वता, स्वातंत्र्य संवर्धन, ई गवर्नेंस मॉडल, सामान्य इच्छा, सामुदायिक विकास, विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक विमुखीकरण, आत्मनिर्भर भारत, राजनीतिक सहभागिता, तृणमूल लोकतांत्रिक पद्धति, संवैधानिक संरचना, राष्ट्रीय प्राथमिकता, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक केंद्रीकरण, सामाजिक संतुलन, डिजिटल समावेशन,

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली समसामयिक विश्व की सबसे व्यापक और स्वीकृत प्रणाली है। किंतु , इस सदी में यह अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके समाधान का आधार सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से संभव किया जा सकता है। सतत जन भागीदारी , लोकतांत्रिक प्रणाली को एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में रूपांतरित करता है जो सिर्फ चुनावी राजनीति तक नहीं बल्कि विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उसकी निगरानी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करता है। विकसित भारत मिशन 2047 का लक्ष्य इसी जन भागीदारी को विकास का आधार बनाकर एक सशक्त , परिपक्व और मजबूत लोकतंत्र को तैयार करना है। इससे जन सामान्य अपनी सहभागिता को लेकर आश्वस्त रहेगा और सरकार के निर्णयों में उसकी भागीदारी परिलक्षित होगी । इन सभी चुनौतियों के रहते भारत 2047 तक अपने विकसित भारत के लक्ष्य को टिकाऊ और समावेशी नहीं बना सकता। भारत में केरल का उदाहरण हमें यह बताता है कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जन सामान्य को प्राप्त निर्णयन की शक्ति के परिणाम अत्यंत प्रभावकारी रहे हैं। किंतु , संस्थागत क्षमताओं को उन्नत किए बिना, वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित किए बिना , नागरिक शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत किए बिना, पारदर्शिता और जवाब देही को स्थापित किए बिना हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। भारतीय नीति आयोग समावेशी विकास के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन सामान्य केंद्रित शासन और सतत विकास को अपनी प्राथमिकताओं के अंतर्गत रखते हुए विकसित भारत मिशन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने को संकल्पित है।

भारतीय लोकतंत्र की सहभागिता परंपरा उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। प्राच्यकालीन संवाद , सभा एवं समितियों के माध्यम से लेकर वर्तमान पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन तक भारत ने लोकतंत्र को जन सामान्य की भागीदारी से जोड़कर रखने का प्रयास किया है। अद्यतन भारत सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक परियोजना ' विकसित भारत मिशन 2047' के संदर्भ में इस परंपरा को फिर से मजबूत करके, समावेशी लोकतंत्र के लक्ष्यों को पाया जा सकता

है। सहभागी लोकतंत्र भारत के लिए कोई नूतन अवधारणा नहीं बल्कि उसकी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि रही है। भारत के सहभागी जनतंत्र की सफलता में इसकी परंपरा, आकार, क्षमता संवर्धन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का भारतीय जनमानस जो कि जागरुक और शिक्षित है तथा 'आत्मनिर्भर भारत ' का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है , को मात्र लाभार्थी बना कर नहीं बल्कि सह निर्माता बनाकर सशक्त किया जा सकता है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल आर्थिक उपलब्धि का नहीं बल्कि यह हमारी जनतांत्रिक परिपक्वता की परीक्षा भी है । यद्यपि , भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है किंतु, व्यावहारिक रूप में जनसाधारण की सहभागिता चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित रह गई है। आज आवश्यकता है कि नीति निर्माण , जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में जन सामान्य की सक्रिय सहभागिता हो।

जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को मात्र प्रतीकात्मक बनाए रखने की अपेक्षा स्थानीय स्वशासन, संरचनाओं और संस्थाओं के माध्यम से नागरिक सहभागिता को व्यवहारिक आयाम दिया जा सकता है। जन भागीदारी लोकतंत्र और समावेशी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले उद्देश्य के लिए आवश्यक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने स्वातंत्र्य संवर्धन को विकास की मूल अवधारणा माना। किसी भी विकासशील देश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को नजर अंदाज न करें। भारत में स्थानीय स्वशासन एवं केरल का स्थानीय स्वशासन मॉडल जन भागीदारी लोकतंत्र की व्यवहारिक उपयोगिता की बुनियाद रखते हैं। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के दर्शन में भी हम भारतीय सहभागी लोकतंत्र की वैचारिक नींव की मौजूदगी पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जहां पर भी जन भागीदारी अधिक है , वहां विकास अधिक निरंतर और समावेशी है और स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण ने इस सहभागिता को और अधिक बढ़ाया है।

सहभागी जनतंत्र के संदर्भ में भारतीय विचारों को देखें तो महात्मा गांधी के अनुसार, वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्ता की ताकत अंत्योदय से शुरू होकर के ऊपर की ओर प्रवाहित हो । यह सहभागी लोकतंत्र के समसामयिक सिद्धांतों से पूर्णतया साम्य रखता है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक आधार प्रदान करते हुए कहा कि , राजनीतिक लोकतंत्र तब तक संभव नहीं है, जब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। वंचित वर्गों की सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक सहभागिता के महत्वपूर्ण बिंदु हमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 73वां , 74वां संविधान संशोधन और विभिन्न सामाजिक आंदोलन , नागरिक मंचों , सामाजिक आंकड़ों और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाई देता है। किंतु , फिर भी चुनौती अभी भी राजनीतिक केंद्रीकरण, नागरिक उदासीनता और शिक्षा के अभाव और असमान वितरण के रूप में दिखाई देती है।
भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक सहभागिता थी, किंतु इसका स्वरूप समसामयिक जन भागीदारी जैसा नहीं था । भारतीय समाज में सामूहिक निर्णय की परंपरा गहरी थी । इसे हम वैदिक काल में सभा और समितियों के माध्यम से देख सकते हैं , जो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी और विभिन्न तरह के सामाजिक ,सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर वैचारिक आदान-प्रदान का मंच प्रदान करती थी। इसमें जन सामान्य की सहमति को महत्व मिलता था।

भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार 'विकसित भारत मिशन 2047' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प मात्र एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि भारत के नैतिक , सामाजिक और लोकतांत्रिक भविष्य की संपूर्ण परिकल्पना है। यह ऐसे समृद्ध भारत की कल्पना करता है जिसमें आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास, उन्नत लोकतांत्रिक प्रणाली और जन सामान्य का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। विकसित भारत एक मानव केंद्रित विकास की संकल्पना का आकार तय करता है , जो नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देने तथा जनतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का विस्तार करने को प्रतिबद्ध है। सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाकर शासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। विकसित भारत के लक्ष्यों के अंतर्गत समावेशी विकास के जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करेंगे उसके अंतर्गत रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत, साहस और कौशल, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा तक सभी की समान पहुंच होगी । क्षेत्रीय स्तर पर संतुलन, सशक्त स्थानीय स्वशासन, डिजिटल गवर्नेंस इत्यादि इसके प्रमुख लक्ष्य है, जिसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान की जा सकती है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करके, विकसित भारत के समस्त आयामों को हम तभी दीर्घकालिक स्तर तक ले जा सकते हैं, जब उसे जनता की स्वीकृति और सहभागिता प्राप्त हो। तेजी से विकसित और डिजिटल हो रहे भारतीय लोकतंत्र को अंत्योदय तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। किंतु , डिजिटल लोकतंत्र को हम ऑफलाइन सहभागिता के साथ जोड़कर इसे मजबूत कर सकते हैं। भारत के जन भागीदारी लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य जनतंत्र की गुणवत्ता पर बल देना है न की मात्र प्रक्रिया पर। जीन जैक्स रूसो ने लोकतंत्र का आधार ' सामान्य इच्छा ' को कहा है। उसने

यह इंगित किया है कि , कोई भी निर्णय तभी वैध माना जा सकता है जिसमें सामूहिक इच्छा या सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल की मान्यता है कि, लोकतंत्र जन सामान्य को शासन करना सिखाने का एक अवसर देता है, क्योंकि सहभागिता के माध्यम से ही जन सामान्य के नैतिक और बौद्धिक विकास का आधार तय होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपने प्रमुख चिंतन ' आर्गुमेंटेटिव इंडियन' और ' डेवलपमेंट एज फ्रीडम' में प्रतिपादन किया है कि , कोई भी विकास स्वतंत्रताओं का विस्तार है । राजनीतिक सहभागिता इन सभी स्वतंत्रताओं की एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसी के आधार पर नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं । सरकारों से प्रश्न कर सकते हैं । निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, और समाज में अधिक न्यायपूर्ण विकास को प्रश्रय दे सकते हैं।

विकसित भारत मिशन 2047 के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को यदि संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया जाए तो भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है। यह सार्वभौम सत्य है कि वर्तमान में उपजे संकट भविष्य की सूचना देते हैं । किसी भी देश का वर्तमान यदि स्वस्थ, सकारात्मक और कर्मठता से परिपूर्ण है तो उस देश का भविष्य निश्चय ही प्रगतिमूलक और समृद्ध होगा।
भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर दृष्टिपात करने पर हमें भारत में नूतन प्रवृत्तियां तेजी से उभरती दिख रही हैं। ई -गवर्नेंस मॉडल और राजनीति तथा तकनीक के बीच के समन्वय ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ और समृद्ध आधार प्रदान किया है।

बृहद , व्यापक और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले तथा उसे संपन्नता प्रदान करने के लिए सामान्य प्रशासन में जन भागीदारी के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। भारत में पंच और पंचायत शब्द हजारों वर्षों से चला आ रहा है । सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां मीडिया , सरकार और लोकतंत्र की प्रभावकारी पहुंच नहीं हो पाई है , वहां पर भी पंचायत के माध्यम से लोक कल्याणकारी शासन का संचालन जन सामान्य की भागीदारी से हो रहा है ।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है । सामुदायिक विकास प्रणाली 1952 से ही भारत में लागू है। जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक स्वरूप देने के लिए 1993 में पारित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की स्थानीय स्वशासन की दशा और दिशा का निर्धारण किया गया , जो आज तृणमूल स्तर पर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान कर रहा है।

International Journal in Management and Social Science
Volume 09 Issue 12, December 2021 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र ने जिन सोपानों को छुआ है , वह देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर अर्थात विकसित भारत मिशन 2047 में इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना है की संसदीय प्रणाली के माध्यम से हमने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का कार्य किया है। विकास को वरीयता देकर, सांसद निधि का सृजन करके, जनहित कार्य परंपरा की बुनियाद डाली और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास और प्रगति की गाथा भी लिखी है। वंचितों, और पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़कर हमने लोकतंत्र को और मजबूत किया है तथा भारतीय संसद के प्रति आम जनता का आस्था और विश्वास अभी भी कायम है। समय के साथ उसका सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिला है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विगत दशकों में हमने देश के विभिन्न वर्गों , जातियों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व का लोकतंत्रीकरण किया है । संसद के दोनों सदनों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इसमें देश के विभिन्न वर्गों, समुदायों, जातियों के प्रतिनिधित्व में निरंतर वृद्धि हुई है । वंचित समूहों के राजनीतिक सशक्तीकरण के कारण लोकसभा का संयोजन और अधिक संतुलित हो गया है । पिछले दो दशकों में यह सामान्य प्रवृत्ति देखी जा रही है कि, अंत्योदय विकास को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार सुनिश्चित की है। विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के माध्यम से समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है ताकि समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। समसामयिक दौर में विपक्ष, मीडिया और सोशल मीडिया ने शासन और सत्ता को नियंत्रण में रखने का निरन्तर प्रयास किया है। भारतीय जनमानस और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों ने अपने वोट की ताकत से लोकतांत्रिक परंपराओं को समृद्ध तथा मजबूत किया है।

20वीं शताब्दी में जॉन डीवी ने लोकतंत्र को एक 'जीवन पद्धति' के रूप में परिभाषित किया, और यह कहा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक संरचनाओं और व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं , बल्कि सामाजिक संवाद, सामूहिक समस्या समाधान और सार्वजनिक विमर्श की एक प्रक्रिया है। समसामयिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यह सामान्यतया देखा गया है कि, नीति निर्माण संबंधी कार्यों में राजनीतिक नेतृत्व , ब्यूरोक्रेसी और विशेषज्ञों की भूमिका तक ही सीमित रह जाती है, इससे राजनीतिक , प्रशासनिक उदासीनता तथा लोकतांत्रिक विमुखीकरण का परिणाम सामने आता है। इसे समावेशी और सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को साकार किया जा सकता है । भारत जैसे विविध ,संस्कृति संपन्न, विशाल और सामाजिक आर्थिक विषमता से युक्त देश में सहभागी लोकतंत्र की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सहभागी लोकतंत्र, जनतंत्र का विकल्प नहीं बल्कि उसका परिष्कार है । जनतांत्रिक भविष्य का मार्ग सहभागिता से होकर ही जाता है।

International Journal in Management and Social Science
Volume 09 Issue 12, December 2021 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

समावेशी विकास और लोकतंत्र की सुरक्षा के प्रति भारतीय संविधान निर्माताओं ने आरंभ से ही अपनी दृष्टि रखी और लोक कल्याणकारी राज्य की बुनियाद रखी। वह एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसका आधार सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हो । वे देश को एक ऐसा संविधान देना चाहते थे जो सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के यंत्र के रूप में काम करें, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का माध्यम बने। समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्वतंत्रता की शताब्दी आने तक नागरिकों में स्वतंत्रता और दायित्वबोध का बेहतरीन संयोजन हो और उसे वह एक ही सिक्के के दो पहलू मानकर चलें । बिना दायित्वबोध एवं जवाबदारी के कोई भी नागरिक विकसित हो रहे लोकतंत्र में स्वतंत्रता के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता।

ऐसा नहीं है कि, पूंजीवाद में समावेशी विकास संभव नहीं है। किंतु इसकी संभावनाएं बहुत कम है , क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को समावेशी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि, वित्त या धन का विकेंद्रीकरण किया जाए और लाभों का समानतापूर्ण वितरण किया जाए और उसे विकास दर के साथ समायोजित किया जाए, जो की कठिन है। क्योंकि, मुनाफा बनाने के दौर में पूंजीवाद , व्यक्ति केंद्रित विकास करता है। यदि वह विकास दर को एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वितरित करें तो समावेशीकरण संभव है और इससे बेहतर विकास स्थिति प्राप्त हो सकती है। समसामयिक विश्व और समाज जो ज्ञान आधारित है, के अंतर्गत कौशल और ज्ञान प्रगति के साधन के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। मात्र , पूंजी प्रगति और विकास की अनिवार्यता नहीं। यह सत्य है कि जिसके पास पूंजी है वह तो लाभ की स्थिति में है। किंतु , यह कहना उचित भी नहीं है की लाभ में सिर्फ वही है जिसके पास पूंजी है। समसामयिक वैश्विक समाज आज अनेक ऐसे दृष्टांतों से भरा पड़ा है जिन्होंने ज्ञान की ताकत के बल पर पूंजी का अपार साम्राज्य खड़ा किया । बिल गेट्स, मार्क जुकेरबर्ग, एलन मस्क इत्यादि अनेकों नाम है , जिन्होंने ज्ञान और कौशल को आधार बनाकर बृहद साम्राज्य खड़ा किया। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उन्होंने अवसरों की समानता को प्रोत्साहित किया है, वहां पर ज्ञान आधारित सक्षम कार्यबल अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामाजिक सरोकार , शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर निरंतर पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल निजी उद्यम और राज्य के बीच के स्पष्ट विभाजन को समाप्त कर पूंजीवाद के कल्याण केंद्रित स्वरूप का आधार निर्धारित कर रहा है ।

लोकतंत्र में सहभागिता के माध्यम से समानता और सामाजिक न्याय को अधिक मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि सहभागी प्रजातंत्र का यथार्थ उद्देश्य तभी सफल होता है , जब समाज के सभी वर्गों, वंचित समूहों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों इत्यादि की व्यापक भागीदारी निश्चित हो। सामाजिक आंदोलनो , स्वयं सहायता समूहो तथा पंचायतो में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने सहभागी लोकतंत्र की संकल्पना को मजबूत किया है। लोकतंत्र और विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि, जनतंत्र विकास को नैतिक दिशा देता है और विकास, जनतंत्र को सामाजिक आधार प्रदान करता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपने चिंतन में यह इंगित किया है कि, केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रताओं के विकल्पों को खोलना और उसे संभव बनाना लोकतांत्रिक विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र को एक व्यापक आधार प्रदान करता है । अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के साथ-साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन में देख सकते हैं । इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा मात्र शासन पद्धति की नहीं , बल्कि जीवन पद्धति भी रही है। समसामयिक विमर्श में सामाजिक राजनीतिक रूप से जटिल चुनौतियों ने न केवल सरकार और सामान्य जनता के बीच परस्पर संबंधों को प्रभावित किया है , बल्कि नीतियों के निर्माण , उसकी गुणवत्ता , विभाजन रहित विकास , पारदर्शिता एवं जवाब देही को भी एक नया आयाम दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र ' विकसित भारत मिशन 2047' को एक सहभागी जनतांत्रिक आदर्श के रूप में समीक्षा करता है और यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार जनतांत्रिक सहभागिता 2047 तक भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकता हैं।

REFERENCES

1- UNDP, participatory governance framework.
2- Sen, Amartya, Development as freedom.
3- world Bank, social accountability sourcebook.

4- Constitution of India.

5- Mill,J.S, 'consideration on Representative Government.

6- Rousseau,j j., 'The social Contract '.

7- Panchayati Raj ministry, Bharat Sarkar - Annual report.

8- Prakashan vibhag, Yojna Magazine.

9- Dewey, J., 'Democracy and Education '.

10- Luxmikant. M, ' Indian polity '.

11- Sen,Amartya, ' Argumentative Indian'.